

2025/98

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन
(कोर्ट कैम्प उप तहसील लूणवां दिनांक 27.02.2025)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र दर्ज दिनांक : 27.02.2025

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 27.02.2025

निम्न प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल. आर. एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निम्नलिखित भूमि की किस्म दुरुस्त किये जाने निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि प्रस्तुत किये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र बाबत किस्म दुरुस्ती प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 आरएलआर एक्ट 1956 में कवर नहीं होने से खारिज किया जाता है।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम पटवार हल्का	खाता संख्या	खसरा नं.	अशुद्ध नाम/प्रविष्टी
46/2025	जगदीश पुत्र किशनाराम	गोरवपुरा / लूणवां	75	684	किस्म गै.गु. कुंआ

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 27/02/2025 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी) (आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक : 27.02.2025

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोट/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां